विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

<u>प्रकरण क्रमांक L0032513</u>

श्री पुष्पदंत सागर उज्जैन न्यास, — आवेदक
पुष्पगिरी तीर्थ रोलुपिपलिया,
सोनकच्छ, जिला – देवास (म.प्र.)
पिन कोड – 455118

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (शहर संभाग),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
देवास (म.प्र.) – 455001

— अनावेदकगण

कार्यपालन यंत्री (संधा./संचा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सोनकच्छ, देवास (म.प्र.) – 455118

आवेदक की ओर से श्री आर.सी. जैन उपस्थित ।
अनावेदक की ओर से श्री एस.के. गंगराडे उपस्थित ।

आदेश

(आज दिनांक 14.11.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर तथा उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत क्रमांक W0249113 श्री पुष्पदंत सागर डी. जैन न्यास विरूद्ध मुख्य अभियंता में पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके परिसर में उच्च दाब विद्युत कनेक्शन है, जिसका मीटर इक्युपमेंट जल गया था । उक्त मीटर अनावेदक विद्युत वितरण

कम्पनी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसका किराया उपभोक्ता से वसूल किया जाता है, परन्तु मीटर को जला हुआ बताकर उसे रू. 1,22,164/– का मांग पत्र भेजा गया है, जो उचित नहीं है ।

3. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का विरोध इस आधार पर किया गया है कि उपभोक्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त मीटर इक्युपमेंट की जांच कराई गई । जांच प्रतिवेदन से यह जानकारी प्राप्त हुई कि मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला है, अतः मीटर का मूल्य उपभोक्ता को जमा करने के लिए मांग पत्र भेजा गया है ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कण्डिका 5.6 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यदि विद्युत वितरण कम्पनी के किसी उपकरण को क्षति उपभोक्ता की उपेक्षा से कारित होती है तो ऐसे उपकरण का मूल्य अदा करने के लिए उपभोक्ता बाध्य है । प्रश्नगत् उपकरण अर्थात् मीटर उपभोक्ता की गलती के कारण जला था, अतः ऐसे उपकरण की कीमत वसूल करने के संबंध में अनावेदक द्वारा जो कार्यवाही की गई है वह सही है तथा उपभोक्ता किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नहीं है ।

5. फोरम के प्रश्नगत् आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसके परिसर में स्थापित प्रश्नगत् मीटर का निरीक्षण दिनांक 29.11.12 को करने पर यह पाया गया था कि उक्त उपकरण खराब है । दिनांक 12.12.12 को उसे बदला गया था । जिन व्यक्तियों के समक्ष अर्थात् अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के कर्मचारी सहायक यंत्री तथा कनिष्ठ यंत्री तथा उसके प्रतिनिधि के समक्ष मीटर का परीक्षण किया गया था, वह टेस्टिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कहीं पर 60,000/– रू. की मांग की गई है, परन्तु उससे 1,22,164/– रू. की मांग की गई है जो उचित नहीं है । फोरम के सामने मीटरिंग इक्युपमेंट जिससे खरीदा गया है उनके सामने परफारमेंस ग्यारंटी रखना न्यायोचित है । मीटर की एच.टी. साईट में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया गया था । मीटर इक्युपमेंट एक साल से कम समय में फैल हुआ था, जिसकी गारन्टी कम्पनी द्वारा दी जाती है । गारन्टी 18 महीने की होती है । मीटर लगाते समय आईल टेस्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, उसके परिसर में पुराना मीटर लगाया गया था । मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किए गए संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम 2006 के अध्याय 7 के परिशिष्ट – 1 की अनुसूची के बिन्दु VI जले हुए मीटरों की लागत की वसूली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं और उक्त निर्देशों के

अनुसार जले हुए मीटर की अवमूल्यित राशि उपभोक्ता से वसूल होना चाहिए, अतः फोरम ने जो आदेश दिया है वह अपास्त किए जाने योग्य है ।

6. फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने इस तथ्य पर विचार किया है कि प्रश्नगत् उपकरण अर्थात् मीटर गारन्टी पीरियड का समय समाप्त होने के बाद खराब हुआ था। उपभोक्ता की तरफ से ट्रांसफार्मर में करन्ट फाल्ट होने के कारण प्रश्नगत् उपकरण जला था ।

7. उपभोक्ता ने अभ्यावेदन में जिन तथ्यों का विवरण दिया है उनके संबंध में कोई प्रमाण उसकी ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । उपभोक्ता की ओर से की गई इस आपत्ति का कोई अर्थ नहीं है कि मीटर का परीक्षण करते समय उसका जो प्रतिनिधि उपस्थित था उसे टेस्टिंग के बारे में जानकारी नहीं थी । यदि उसके प्रतिनिधि को ऐसी जानकारी नहीं थी तो पर्याप्त ज्ञान रखने वाले प्रतिनिधि को टेस्टिंग के समय उपस्थित रखने का दायित्व उपभोक्ता पर था । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एक ही प्रकार की क्षति के लिए भिन्न–भिन्न राशि की मांग भिन्न–भिन्न व्यक्तियों से की गई है, इसको साबित करने के लिए उपभोक्ता की ओर से कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रश्नगत् मीटर का एच.टी. साईट में कोई प्रोडक्शन नहीं था, इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । आईल टेस्ट नहीं किया गया था, इसका भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रश्नगत मीटर का वास्तविक मूल्य क्या था तथा उसकी अवमूल्यित राशि कितनी होती है, इसके बारे में उपभोक्ता की ओर से कोई जानकारी अभ्यावेदन में नहीं दी गई है ।

8. अतः फोरम द्वारा उपभोक्ता की शिकायत को निरस्त किए जाने का जो निष्कर्ष दिया गया है वह उचित तथा विधिसंगत प्रतीत होता है । फोरम द्वारा दिए गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया जाता है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है ।

9. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल